

संख्या: 371/छप्पन-2023

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
प्रधान पीठ,
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली-110001.

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2023


विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 584/2022
Durga Prasad Yadav & Ors. Vs State of Uttar Pradesh & Ors में पारित
आदेश दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या-02 (अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन) के Response को संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,


(आनन्द कौशिक)
अनु सचिव

Response on behalf of respondents No. 2 (Additional Chief Secretary, Civil Aviation Department, Lucknow Government of Uttar Pradesh) in compliance of order dated 21.12.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal Principle Bench, New Delhi in OA No. 584/2022 Durga Prasad Yadav and Ors V/s State of Uttar Pradesh and Others.

That the grievance in the present letter petition sent by Email which is treated and registered as original application is regarding damage to the environment and existence of River Trilodki Ganga (Baha) caused by the construction of Shri Ram International Airport. Honorable National Green Tribunal passed an order on 21.12.2022 in the OA No. 584/2022 Durga Prasad Yadav and Ors V/s State of Uttar Pradesh and Others. The excerpt of aforesaid order is as below:-

“...4. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Additional Chief Secretary, Civil Aviation Department, Lucknow Government of Uttar Pradesh, (3) UPPCB, (4) the District Magistrate, Ayodhya and (5) the Project Proponent- M/s Amrit Bottlers Pvt. Ltd., Chandpur, Harbans, P.O. Dabhasemar, District- Ayodhya, who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no. 3 has already appeared before this Tribunal through counsel. Notices be issued to respondents No. 1, 2, 4, and 5.

6. Reply/response on behalf of respondents no. 1 to 5 be filed within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.....”

In Compliance of above order, It is submitted that as per the facts mentioned in the Joint Committee report dated 12.12.2022, presently the said industry is complying with environmental norms. As per revenue records, no river by the name of Trilodki Ganga is recorded in district-Ayodhya. The Trilodki Ganga referred by the complainant is recorded as Tillaiya Nalla in some villages and recorded as Soti and Baha in some other villages in revenue records pertaining to Villages Ganja, Hasapur, Chandpur, Haribansh, Poore Hussain Khan of Tahsil-Sadar, District-Ayodhya. As per information received from the Irrigation Department, steps are being taken to ensure that water flow of the area is not hindered due to extension of the Ayodhya Airport and water flow remains smooth.

In relation to the letter No. 1097/V.Chh.584/2022/23 dated 17.02.2023 issued by District Magistrate, Ayodhya, to the SDM, Sadar, Ayodhya it is to be informed that according to the revenue records, there is no land record in Ayodhya district by the name of Trilodki Ganga/Baha. Trilodki Ganga/Baha, which has been called by the petitioner, is recorded in the revenue records as Tilaiya Nala in some villages, while in some villages it is recorded as Soti, Baha or Nala and in some villages, it is recorded as Abadi sites (class 6(2)) as well. However in the discontinued portion of the aforementioned Nala, the outflow/overflowing of the recordable portion of Nala connects through the land parcels of the transferable tenure holders. Copy of SDM, Sadar, Ayodhya's Letter dated 02.03.2023 is annexed as Annexure No. 1.

In relation to the letter No. 1097/V.Chh.584/2022/23 dated 17.02.2023 issued by District Magistrate, Ayodhya, to the Executive Engineer, Irrigation Division, Irrigation Department, Ayodhya, in the financial year 2021-22, the capacity enhancement and maintenance work in certain reaches of the Tilaiya drain has been carried out by the Municipal Corporation of Ayodhya, which has resulted in effective drainage and a significant reduction in the waterlogging in the catchment area of this drain. It is also necessary to mention that the Irrigation Division of Ayodhya has comprehensively studied

the hydrology of the area and prepared two projects (as tabled below). The revised projects were received in the Civil Aviation Department for approval by the Letter No. 1906/वि०भू०अ०अधि०/श्री राम एयरपोर्ट/2022 dated January 10, 2023 of District Magistrate, Ayodhya.

Sr. No.	Name of Project	Estimated cost
1	निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट के आइसोलेशन बे के उत्तरी छोर पर जल निकासी हेतु तिलैया ड्रेन के मध्य लिंक ड्रेन के निर्माण की परियोजना	824.04 लाख
2	जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के जल निकासी हेतु ड्रेन निर्माण की परियोजना	4763.51 लाख


The above mentioned projects are under consideration.

The proposed project at Sl. No. 1 included the construction of a link drain between the left portion of the airport near the isolation bay and the Tilaiya Drain, the capacity enhancement in the required portion of the Tilaiya Drain and the reconstruction of few narrow and old culverts in the same reach.

Due to the expansion of the runway at the ongoing airport project, the flow of Chandpur Harbansh Drain and Sanaiya Drain was affected on the right side of the airport. To avoid any occurrence of water logging and continuance of Chandpur Harbansh Drain and Sanaiya Drain, a district-level committee was constituted by District Magistrate, Ayodhya. After a thorough field inspection, the Committee has made the recommendation and accordingly the Irrigation Division of Ayodhya prepared the project as mentioned herein above at Sl. No. 2 of the table. Under this project, the unrestricted flow of these drains has been ensured by making an alternate drain/route diversion. This project also included the reconstruction of a few existing culverts due to a change of bed level/waterway at respective chainage following the changed hydraulic data.

After completion of these projects, unrestricted and effective drainage in the catchment area will be ensured and the occurrence of water logging will be completely avoided through hydraulically best-suited disposal of rainwater. Copy of Executive Engineer, Irrigation Division, Irrigation Department, Ayodhya's letter dated 28.02.2023 is annexed as Annexure No. 2.

The above response is being place before Hon'ble Tribunal for kind consideration.


 (एसवर्षा मिश्र) (एसवर्षा मिश्र)
 अपर मुख्य सचिव
 नागरिक उड्डयन विभाग
 उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
सदर, अयोध्या।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

पत्र संख्या- 146/रा0नि0(कार्या0)/एन.जी.टी.-आख्या/2023

दिनांक 02 मार्च, 2023

विषय:- मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A.NO.584/2022 दुर्गाप्रसाद यादव व अन्य बनाम
स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1097 / O.A.NO.584/2022/23 दिनांक 17.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार जनपद अयोध्या में त्रिलोदकी नदी नाम से कोई भूमि दर्ज अभिलेख नहीं है। याची द्वारा जिसे त्रिलोदकी गंगा कहा गया है, वह राजस्व अभिलेखों में किसी ग्राम में तिलैया नाला के नाम से दर्ज है तो किसी ग्राम में सोती, बाहा अथवा नाली के खाते में दर्ज है एवं किसी ग्राम में आबादी श्रेणी 6(2) एवं कहीं-कहीं संक्रमणीय भूमिधर के खाते से होकर प्रवाहित होता है। ग्राम जनौरा (बा0न0पा0) में उक्त नाला जिस भूमि से होकर प्रवाहित होता है, वह राजस्व अभिलेखों में बाहा के खाते में गाटा संख्या 1037, 1079 व 1080 के रूप में दर्ज है, (प्रतिलिपि खतौनी संलग्नक संख्या-1) ग्राम गंजा में यह नाला गाटा संख्या 190, 274, 349, 356, 357, 386, 385, 378, 372, 374, 655, 655/1042, 665, 666, 663, 661, 681, 684, 700 व 692 से होकर प्रवाहित होता है, जिसमें से गाटा संख्या 274, 374, 655, 663, 666, 665, 655/1042 शिक्षा विभाग उ0 प्र0 के नाम दर्ज अभिलेख है तथा गाटा संख्या 385क, 681क तालाब के खाते में तथा गाटा संख्या 681क बंजर, नवीन परती व तालाब के खाते में, गाटा संख्या 190मि., 349क, 356 व 692 बाहा के खाते में अंकित है। गाटा संख्या 700, 372, 349ख, 357, 386, 385क संक्रमणीय भूमिधरों के खाते में दर्ज अभिलेख है। (प्रतिलिपि खतौनी संलग्नक संख्या-2) ग्राम पूरा हुसैन खां में यह नाला गाटा संख्या 496, 497, 514 व 609 से होकर प्रवाहित होता है, जिसमें से गाटा संख्या 496क, 514 व 609 खतौनी में शिक्षा विभाग/राजकीय सम्पत्ति के रूप में दर्ज है तथा गाटा संख्या 497 श्री बेचूलाल, जोखूलाल, रामदीन पुत्रगण झगरू आदि की संक्रमणीय भूमिधरी है। (प्रतिलिपि खतौनी संलग्नक संख्या-3) ग्राम आशापुर में यह नाला राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 16/0.1110हे0 नाला के खाते में अंकित है। (प्रतिलिपि खतौनी संलग्नक संख्या-4) ग्राम वासूपुर सिरसा उर्फ जयसिंहपुर में यह नाला गाटा संख्या 66, 73, 348, 350/1, 69, 70, 72, 56, 305, 21 व 308 से होकर प्रवाहित होता है, जिसमें गाटा संख्या 66, 73, 350/1, 56, 305, 21 व 308 तिलई नाला के रूप में दर्ज अभिलेख है तथा गाटा संख्या 69, 70, 72 श्री रामदेव पुत्र भगवानदीन व अन्य सहखातेदारों के संक्रमणीय भूमिधरी खाते की भूमि है। (प्रतिलिपि खतौनी संलग्नक संख्या-5) ग्राम काजीपुर चितावां में यह नाला गाटा संख्या 55, 181, 86, 64मि., 65, 179व से होकर प्रवाहित होता है, जिसमें गाटा संख्या 55, 181, 64मि., 65 व 179व तिलई नाला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है तथा गाटा संख्या 86 श्री रामकृष्ण पुत्र रामआसरे व अन्य सहखातेदारों की संक्रमणीय भूमिधरी है। (प्रतिलिपि खतौनी संलग्नक संख्या-6) ग्राम-तकपुरा में यह नाला गाटा संख्या 56 से होकर प्रवाहित होता है, जो राजस्व अभिलेखों में नाला खाते में दर्ज है। (प्रतिलिपि खतौनी संलग्नक संख्या-7) ग्राम हैबतपुर में यह नाला गाटा संख्या 61ख, 228, 59, 60, व 61क से होकर प्रवाहित होता है, जिसमें गाटा संख्या 61ख व 228 नाला के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। गाटा संख्या 59 सुनीलकुमार पुत्र कन्धईलाल आदि की सह-संक्रमणीय भूमिधरी है एवं गाटा संख्या 60 व 61क श्री नन्हकू पुत्र रमेसर की संक्रमणीय भूमिधरी है। (प्रतिलिपि खतौनी संलग्नक संख्या-8) ग्राम शाहनेवाजपुर मांझा में यह नाला गाटा


24


संख्या 287ड, 288ख व 769ज से होकर प्रवाहित होता है, जिसमें गाटा संख्या 287ड व 288ख सोती के खाते में तथा गाटा संख्या 769ज नाला के रूप में दर्ज अभिलेख है। (प्रतिलिपि खतोनी संलग्नक संख्या- 9) यह नाला ग्राम रामपुर हलवास भांझा में गाटा संख्या 311 ड से होकर प्रवाहित होता है, जो अभिलेखों में जलमग्न भूमि के रूप में दर्ज है। (प्रतिलिपि खतोनी संलग्नक संख्या- 10) इस प्रकार यह नाला तहसील सदर अयोध्या के राजस्व गांग त्रियापुर, पूरा हुगोन खाँ, गिना, जनीया, भोखापुर, रानीपाली, आशापुर, तकपुरा, हैबतपुर, काजीपुर चिताना, नारायण शिरया उर्फ जयसिंहपुर, शाहनेवाजपुर भांझा आदि ग्रामों से होता हुआ सरयू नदी में गिर जाता है। वर्तमान में एयरपोर्ट विस्तार से उसके आस-पास के क्षेत्र में जल निकासी प्रभावित हुई है, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में प्रभावित जलनिकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा एक अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया, तदोपरान्त समिति के सुझाव के अनुरूप सिंचाई खण्ड अयोध्या द्वारा उपर्युक्त कैचमेण्ट के जल को सरयू नदी तक प्रवाहित करने हेतु एक वैकल्पिक ड्रेन के निर्माण की परियोजना बनायी गयी है। उक्त परियोजना के सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा पत्र संख्या 2585 दिनांक 8.9.2022 अपर मुख्य सचिव, नागरिक सङ्ग्रहण को प्रेषित किया जा चुका है जिसकी प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। परियोजना में चांदपुर हरवंश ड्रेन के कैचमेण्ट एवं एयरपोर्ट परिक्षेत्र से प्राप्त होने वाले समस्त जलनिकासी का प्रावधान रखा गया है। (अधिशायी अभियन्ता सिंचाई खण्ड अयोध्या की आख्या संलग्नक संख्या- 11)

मेसर्स अमृत बाटलर्स प्रा०लि० चांदपुर हरवंश पोस्ट डामासेमर जनपद अयोध्या का पानी चांदपुर ड्रेन में गिरता है। अयोध्या एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के चलते चांदपुर ड्रेन का कुछ हिस्सा प्रभावित हुआ है, जिससे सुचारू जलनिकासी सुनिश्चित करने हेतु अधिशायी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड अयोध्या द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। मेसर्स अमृत बाटलर्स प्रा०लि० चांदपुर हरवंश के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या के द्वारा मेसर्स अमृत बाटलर्स प्रा०लि० चांदपुर हरवंश पोस्ट डामासेमर जनपद अयोध्या का निरीक्षण कर अवगत कराया गया है कि दिनांक 01.06.2022 को एकत्र किये गये जल नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या में पी०एच०-7.87, बी०ओ०डी०-18.0 मिग्रा०/लीटर, सी०ओ०डी० 106 मिग्रा०/लीटर, टी०एस०एस० 46 मिग्रा०/लीटर पाये गये हैं तथा दिनांक 21.6.2022 को एकत्र किये गये जल नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या में पी०एच०-7.58, बी०ओ०डी० 24मिग्रा०/लीटर, सी०ओ०डी० 146.4 मिग्रा०/लीटर, टी०एस०एस० 76 मिग्रा०/लीटर पाये गये हैं, जो बोर्ड के मानकों के अनुरूप हैं। (क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या संलग्नक संख्या-12) इस प्रकार एयरपोर्ट का विस्तार किये जाने पर भी किसी भी प्रकार से जलभराव अथवा प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। मा० उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं के अनुक्रम में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिए हर प्रकार से प्रयास किया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर सम्प्रेषित है।


संलग्नक:- यथोपरि।


तहसीलदार,
सदर, अयोध्या।

भवदीय

(विशाल कुमार)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी
सदर, अयोध्या।

Due to the expansion of the runway at the ongoing airport project, the flow of *Chandpur Harbansh Drain* and *Sanalya drain* was affected on the right side of the airport. To avoid any occurrence of water logging and continuance of *Chandpur Harbansh Drain* and *Sanalya drain* the district-level committee was constituted by *District Magistrate, Ayodhya*. After a thorough field inspection, the committee has made the recommendation and accordingly the *Irrigation division of Ayodhya* prepared the project as mentioned herein above at *sr. no. 2* of the table, under this project the unrestricted flow of these drains has been ensured by making an alternate drain/route diversion of the length of 18.000 Km from the affected region to the *Saryu river* as the final point of discharge. The discharge capacity of the proposed drain is kept at 145.85 cusecs at the tail and subsequently increased to 313.71 cusecs at the head. This project also included the reconstruction of a few existing culverts due to a change of bed level/waterway at respective chainage following the changed hydraulic data. After completion of these projects, unrestricted and effective drainage in the catchment area will be ensured and the occurrence of water logging will be completely avoided through hydraulically best-suited disposal of rainwater.

भवदीय,



(आर०के०गौतम)

अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, अयोध्या

पत्रांक:- /सि०ख०अयो०/कोर्टकेस/तदिनाक:-

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-निर्माण, सिंचाई खण्ड, अयोध्या को उनके पत्र संख्या:34/स०अ०नि०/कोर्टकेस /दिनांक:2 5.02.2023 के क्रम में।

(आर०के०गौतम)

अधिशायी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, अयोध्या